



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13082021-228976
CG-MH-E-13082021-228976

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2021/श्रावण 22, 1943

No. 336]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2021/SHRAVANA 22, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 13 अगस्त, 2021

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/44.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 तथा धारा 30 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4, धारा 8क तथा धारा 31 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

3. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 में,-

I. विनियम 19 में,

- i. उप-विनियम (1) के दूसरे परंतुक में, शब्द “सूचीबद्ध” का लोप हो जाएगा।
- ii. उप-विनियम (2) का लोप हो जाएगा।
- iii. उप-विनियम (4) में, शब्दों, अंक तथा चिह्नों “उप-विनियम (2) या” का लोप हो जाएगा।
- iv. उप-विनियम (6) का लोप हो जाएगा।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./201/2021-22]

पाद टिप्पण :

1. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/41, 3 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, तत्पश्चात् –
 - (क) 4 जून 2019 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/21, द्वारा
 - (ख) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - (ग) 8 अक्तूबर 2020 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/32, द्वारा
 - (घ) 23 मार्च 2021 को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/12, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th August, 2021

SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) (STOCK EXCHANGES AND CLEARING CORPORATIONS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/44.—In exercise of the powers conferred by sections 4, 8A and 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, read with sections 11 and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, namely:—

1. These regulations may be called the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Second Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, -

I. In regulation 19,

- i. in the second proviso to sub-regulation (1), the word “*listed*” shall be omitted.
- ii. sub-regulation (2) shall be omitted.
- iii. in sub-regulation (4), the words and symbol “*sub-regulation (2) or*” shall be omitted.
- iv. sub-regulation (6) shall be omitted.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./201/2021-22]

Footnote:

1. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 3rd October 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/41.
2. The Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 were subsequently amended on –
 - (a) 4th June, 2019, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/21.
 - (b) 17th April, 2020, by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (c) 8th October, 2020, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/32.
 - (d) 23rd March, 2021, by the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/12.